

दिनांक 14 नवंबर 2018 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्षा में महाविद्यालय

विकास परिषद की 10वीं का कार्यवृत्त

महाविद्यालय विकास परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन दिनांक 14 नवंबर 2018 को सुबह 11:00 बजे बराद सदन के बैठक कक्षा में हुआ। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे, - अध्यक्ष
कुलपति
2. श्री देवाशीष पाल, - सदस्य
वित्त अधिकारी
3. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, - सदस्य
प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग
4. प्रो. एन. सत्यनारायण, - सदस्य
प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग
5. डॉ. एस. मणिवन्गन, - सदस्य
छात्र कल्याण डीन
6. डॉ. परशुराम पोडयाल, - सदस्य
प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय
7. श्रीमती केसांग वांगमो भूटिया - सदस्य
प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग
8. डॉ. (श्रीमती) आरती छेत्री, - सदस्य
प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय
9. डॉ. सत्यदीप छेत्री, - सदस्य
सह प्राध्यापक,
नर बहादुर भण्डारी डिग्री महाविद्यालय
10. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, - विशेष आमंत्रित
डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ
11. श्री टी.के.कौल, - सचिव
कुलसचिव

प्रो. ए.एस.चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष और निदेश (उच्च शिक्षा), एचआरडीडी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकें। संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक) परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए लिए बैठक में उपस्थित थे।

सचिव ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को प्रो. अविनाश खरे, कुलपति का परिचय कराया, जिन्होंने दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और इसके बाद प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग द्वारा परिषद के प्रत्येक सदस्य का परिचय दिया।

त्पश्चात्, अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का विशेष रूप से प्रो.एन. सत्यनारायण और डॉ. (श्रीमती) आरती छेत्री को स्वागत किया जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। अध्यक्ष ने महाविद्यालय विकास परिषद की बैठकों में प्रो. वी. रमा देवी और डॉ. प्रेमलता महापात्र के योगदानों के बारे में बताया।

इसके बाद एजेंडा विषयों पर चर्चा की गयी, जो कि निम्नानुसार है :

खंड 1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी.10.1.1: दिनांक 28 मई 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 9वीं

बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 28 मई 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 9 वीं बैठक के कार्यवृत्त 14 जून 2018 को सभी सदस्यों को वितरित किए गए थे। बैठक के कार्यवृत्त पर परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

दिनांक 28 मई 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 14 जून 2018 वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की गयी है।

सीडीसी.10.1.2: दिनांक 28 मई 2018 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने दिनांक 28 मई 2018 को आयोजित परिषद की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्रवाई रिपोर्ट को परिषद द्वारा नोट की गयी।

खंड 2

सूचनात्मक विषय

सीडीसी.10.2.1: पूर्ववर्ती सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग का नाम नर बहादुर भंडारी

डिग्री महाविद्यालय के रूप में पुनर्नामकरण

परिषद ने कहा कि सिक्किम सरकार ने दिनांक 7 जून 2018 को जारी अधिसूचना द्वारा पूर्ववर्ती सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, तादोंग को नर बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, तादोंग का नाम दिया है, जो सिक्किम सरकार के राजपत्र में 11 जून 2018 को प्रकाशित हुई थी। आगे यह भी नोट किया गया कि महाविद्यालय के प्राचार्य के अनुरोध तथा राजपत्र की अधिसूचना के आधार पर विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड और भविष्य के पत्राचार के लिए उक्त महाविद्यालय को नर बहादुर भंडारी डिग्री महाविद्यालय के रूप में नामांकित करने के लिए दिनांक 26 सितंबर 2018 को एक अधिसूचना जारी की।

RATIFICATION MATTERS

सीडीसी .10.3.1: **Temporary Affiliation to Sikkim Institute of Science and Technology (SIST), Chisopani, South Sikkim from the Academic Session 2018-19**

The Council noted that HRDD, Govt. of Sikkim had sought affiliation of SIST vide letter dated 11th Aug 2017 for admitting students in two branches of engineering degree course in Computer Sciences and Engineering and Civil Engineering from the Academic Session 2018-19. The Inspection team constituted by the Vice-Chancellor inspected the college on 22nd Sept 2017 which recommended for sending a follow-up inspection team. Recommendations of the Inspection Committee were approved by the Academic Council in its 22nd meeting held on 14th Nov 2017.

परिषद ने कहा कि HRDD, Govt। सिक्किम ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स की दो शाखाओं में छात्रों को प्रवेश देने के लिए 11 अगस्त 2017 को दिए गए SIST वीडियोग्राफी पत्र की संबद्धता मांगी थी। कुलपति द्वारा गठित निरीक्षण टीम ने 22 वें सत्र 2017 को कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसने एक अनुवर्ती निरीक्षण दल भेजने की सिफारिश की। 14 नवंबर 2017 को आयोजित अपनी 22 वीं बैठक में अकादमिक परिषद द्वारा निरीक्षण समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी।

All Indian Council for Technical Education (AICTE) has given approval to SIST on 10th April 2018. Follow up inspection was conducted by the same committee on 23rd July 2018. Based on the approval of AICTE and the recommendations of the follow up Inspection Team, Vice-Chancellor granted temporary affiliation to Sikkim Institute of Science and Technology (SIST), Chisopani, South Sikkim from the Academic Session 2018-19 with permission to offer four years under graduate programme from the academic session 2018-19 in Civil Engineering and Computer Science and Engineering with an intake of 40 students in each branch.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने 10 अप्रैल 2018 को SIST को स्वीकृति दे दी है। 23 जुलाई 2018 को उसी समिति द्वारा अनुवर्ती निरीक्षण किया गया था। AICTE के अनुमोदन और अनुवर्ती निरीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर, उपराष्ट्रपति -चांसलर ने सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआईएसटी), चिसोपानी, दक्षिण सिक्किम को अकादमिक सत्र 2018-19 से सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से स्नातक कार्यक्रम के तहत चार साल की पेशकश की अनुमति के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की। प्रत्येक शाखा में 40 छात्रों के सेवन के साथ इंजीनियरिंग।

College Development Council ratified the action of the Vice-Chancellor in grant of temporary affiliation to Sikkim Institute of

Science and Technology (SIST), Chisopani, South Sikkim from Academic Session 2018-19.

कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल ने अकादमिक सत्र 2018-19 से सिक्किम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सिस्ट), चिसोपानी, दक्षिण सिक्किम को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

सीडीसी .10.3.2: Temporary Affiliation to Sikkim Government College of Nursing, Gangtok, East Sikkim from the Academic Session 2018-19

The Council noted that Department of Health Care, Human Services and Family Welfare applied for temporary affiliation for Sikkim Government College of Nursing vide letter dated 17th Oct 2017. The Inspection Committee constituted by the Vice-Chancellor recommended for sending a follow-up inspection team one month before the start of the programme. The recommendations of the Inspection Committee were approved by the Academic Council in 23rd meeting held on 12th June 2018.

काउंसिल ने उल्लेख किया कि सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए अस्थायी संबद्धता के लिए स्वास्थ्य सेवा, मानव सेवा और परिवार कल्याण विभाग ने 17 अक्टूबर 2017 को पत्र भेज दिया है। कुलपति द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने एक अनुवर्ती निरीक्षण भेजने की सिफारिश की है। महीने की शुरुआत कार्यक्रम से पहले। 12 जून 2018 को हुई 23 वीं बैठक में निरीक्षण समिति की सिफारिशों को अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था।

Sikkim Nursing Council vide letter dated 8th June 2018 gave provisional approval for starting B.Sc. Nursing programme with an annual intake of 40 students. Follow-up Inspection Team inspected the college on 18th July 2018. Vice-Chancellor granted temporary

सिक्किम नर्सिंग काउंसिल ने 8 जून 2018 को जारी पत्र की वीडियोग्राफी कर B.Sc. 40 छात्रों के वार्षिक सेवन के साथ नर्सिंग कार्यक्रम। अनुवर्ती निरीक्षण दल ने 18 जुलाई 2018 को कॉलेज का निरीक्षण किया। कुलपति ने अस्थायी रूप से दी

affiliation to Sikkim Government College of Nursing for the academic session 2018-19 for start of B.Sc Nursing with intake of 40 students.

College Development College ratified the action of the Vice-Chancellor in granting temporary affiliation to Sikkim Government College of Nursing, Gangtok for starting B.Sc (Nursing) with intake of 40 students.

कॉलेज डेवलपमेंट कॉलेज ने सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गंगटोक में 40 छात्रों के साथ बी.एससी (नर्सिंग) शुरू करने के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

सीडीसी .10.3.3: Temporary Affiliation to Sikkim Government Pharmacy

College, Sajong, Rumtek, East Sikkim from the Academic Session 2018-19

Sikkim Government Pharmacy College applied for temporary affiliation vide letter dated 29th Dec 2017. Inspection Committee was constituted by the Vice-Chancellor which inspected the college on 23rd Feb 2018. The Committee recommended for sending a follow up inspection team one month before the start of the programme and receipt of permission from Pharmacy Council of India.

सिक्किम गवर्नमेंट फार्मसी कॉलेज ने 29 वें दिसंबर 2017 को अस्थायी संबद्धता पत्र के लिए आवेदन किया था। निरीक्षण समिति का गठन कुलपति द्वारा किया गया था, जिसने 23 फरवरी 2018 को कॉलेज का निरीक्षण किया था। समिति ने शुरू होने से एक महीने पहले एक अनुवर्ती निरीक्षण दल भेजने की सिफारिश की थी। फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कार्यक्रम और अनुमति प्राप्त करना।

The follow-up inspection by the same committee was conducted on 19th July 2018. Based on the approval of Pharmacy Council of India vide letter dated 30th April 2018 and the recommendations of the follow-up inspection Committee, the Vice-Chancellor granted temporary affiliation to Government Pharmacy College, Sajong, Rumtek from the Academic Session 2018-19 for start of 4 years under-graduate programme in B. Pharma with an intake of 60 students.

इसी समिति द्वारा 19 जुलाई 2018 को अनुवर्ती निरीक्षण किया गया था। 30 अप्रैल 2018 को फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र के अनुमोदन के आधार पर और अनुवर्ती निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर कुलपति ने अस्थायी संबद्धता प्रदान की। सरकारी फार्मसी कॉलेज, सोजोंग, शैक्षणिक सत्र 2018-19 से बी फार्मा में 4 साल के अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम की शुरुआत के लिए 60 छात्रों के सेवन के साथ।

College Development College ratified the action of the Vice-Chancellor in granting temporary affiliation to Government Pharmacy College, Sajong, Rumtek for Academic Session 2018-19 for start of B. Pharma course with in-take of 60 students.

कॉलेज डेवलपमेंट कॉलेज ने 60 छात्रों के साथ बी.फार्मा कोर्स शुरू करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए सरकारी फार्मसी कॉलेज, सोजोंग, रुमटेक को अस्थायी संबद्धता देने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड 4

MATTER FOR CONSIDERATION AND APPROVAL

सीडीसी .10.4.1: New Proforma for Inspection Team for inspection of

Nursing College/Nursing Programme

The Council noted that proforma VII which is used for recording observations by the Inspection Team in respect of General Colleges is not appropriate for professional colleges. The Council also noted that in its 9th meeting held on 28th May 2018 it had advised to prepare a separate proforma in line with Nursing Council of India (NCI) guidelines for inspection of Nursing Colleges/Institution. Accordingly, a new proforma (Proforma X) was developed based on the guidelines Nursing Council India to be used by the Inspection Team of the University for inspection of Nursing Colleges/Nursing Programmes.

परिषद ने कहा कि प्रोफार्मा VII जो सामान्य कॉलेजों के संबंध में निरीक्षण दल द्वारा टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, पेशेवर कॉलेजों के लिए उपयुक्त नहीं है। परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि 28 मई 2018 को आयोजित अपनी 9 वीं बैठक में नर्सिंग कॉलेजों / संस्थानों के निरीक्षण के लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया (NCI) के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक अलग प्रोफार्मा तैयार करने की सलाह दी थी। तदनुसार, नर्सिंग कॉलेजों / नर्सिंग कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के निरीक्षण दल द्वारा उपयोग किए जाने वाले दिशानिर्देश नर्सिंग काउंसिल इंडिया के आधार पर एक नया प्रोफार्मा (प्रोफार्मा एक्स) विकसित किया गया था।

College Development Council approved Proforma X to be used by inspection team for inspection of Nursing Colleges/Programes.

सीडीसी .10.4.2: New Proforma for Inspection Team for inspection of

Engineering College /B.Tech Programme

The Council noted that proforma VII which is used for recording observations by the Inspection Team in respect of General Colleges is not appropriate for Professional and Technical colleges. The Council also noted that in its 9th meeting held on 28th May 2018 it had advised to prepare a separate proforma in line with the guidelines of AICTE for inspection of Engineering Colleges/B.Tech Programme. Accordingly, a new proforma (Proforma IX) was developed based on the guidelines of AICTE to be used by the Inspection Team by the University for inspection of Engineering College/B.Tech Programme.

परिषद ने उल्लेख किया कि प्रोफार्मा VII जो सामान्य कॉलेजों के संबंध में निरीक्षण दल द्वारा टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है, व्यावसायिक और तकनीकी कॉलेजों के लिए उपयुक्त नहीं है। परिषद ने यह भी नोट किया कि 28 मई 2018 को आयोजित अपनी 9 वीं बैठक में इंजीनियरिंग कॉलेजों / बी.टेक कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए एआईसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक अलग प्रोफार्मा तैयार करने की सलाह दी थी। तदनुसार, इंजीनियरिंग कॉलेज / B.Tech कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण दल द्वारा उपयोग किए जाने वाले AICTE के दिशानिर्देशों के आधार पर एक नया प्रोफार्मा (प्रोफार्मा IX) विकसित किया गया था।

College Development Council approved Proforma IX to be used by inspection team for inspection of Engineering Colleges/ B.Tech.Programes.

सीडीसी .10.4.3: Renewal of Temporary Affiliation of Ten (10) colleges/subject for the Academic Session 2019-20

The Council noted that as per Clause 14 of Ordinance OD-1, Colleges temporarily affiliated to the University are required to be inspected by the Inspection Team on annual basis for renewal of temporary affiliation. 10 colleges as per details given below applied for renewal of temporary affiliation. Vice-Chancellor constituted Inspection Team for each College/Instiution/Subject/ Course. Inspection Teams visited 10 colleges from 24th to 28th Sept 2018.

परिषद ने कहा कि अध्यादेश आयुध डिपो -1 के खंड 14 के अनुसार, अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों को अस्थायी संबद्धता के नवीनीकरण के लिए वार्षिक आधार पर निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करने की आवश्यकता है। अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10 कॉलेज। कुलपति ने प्रत्येक कॉलेज / इंस्टीट्यूशन / विषय / पाठ्यक्रम के लिए निरीक्षण दल का गठन किया। निरीक्षण टीमों ने 24 वें से 28 वें सितंबर 2018 तक 10 कॉलेजों का दौरा किया।

| क्र.सं. | महाविद्यालयों का नाम | निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की तिथि | निरीक्षण टीम द्वारा की गयी टिप्पणी |
|---------|----------------------|--|------------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| 1. | सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग, वेस्ट सिक्किम | 24.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 2. | सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग, वेस्ट सिक्किम | 24.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 3. | सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंंग, वेस्ट सिक्किम | 25.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 4. | सरकारी वोकेशनल महाविद्यालय, डेंताम, वेस्ट सिक्किम | 26.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 5. | हिमालयन फार्मसी संस्थान, माझीटार, ईस्ट सिक्किम | 26.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 6. | सरकारी महाविद्यालय रीनक, रूंगडुंग, ईस्ट सिक्किम | 26.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 7. | सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुरतुक, ईस्ट सिक्किम | 27.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 8. | नामगयाल तिब्बतीय संस्थान, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम | 27.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 9. | नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरांग, नामची, साउथ सिक्किम | 27.09.2018 | सत्र 2019-20 से अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |
| 10. | लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची, साउथ सिक्किम | 27.09.2018 | सत्र 2019-20 से विषय/पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए संस्तुत |

परिषद ने विचार-विमर्श करने के बाद उपर्युक्त महाविद्यालयों को अस्थायी संबद्धता के अनुमोदन के लिए शैक्षणिक परिषद से सिफारिश की।

यह भी सुझाव दिया गया था कि एजेंडा विषयों को प्रस्तुत करते समय महाविद्यालय ज में स्वीकृत पदों के विरुद्ध उपलब्ध नियमित संकाय सदस्यों का प्रतिशत दिखाने वाला एक अतिरिक्त कॉलम दिया जाए।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Sd/-
(T.K.Kaul)
Registrar & Secretary

Sd/-
(Prof. Avinash Khare)
Vice-Chancellor & Chairman

